G:\Govind\Latter 94

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ. 16(1)(64)सामान्य/आईसीडीएस/2016/ 17819 जयपुर, दिनांकः 6.3.2017

परिपत्र

जिला स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के शुभारम्भ, लोकार्पण कार्यक्रमों, जिनमें माननीय राज्यमंत्री महोदया को आमंत्रित किया जाता है । इसके सम्बन्ध मे आपकों निर्देशित किया जाता है किं जिला एवं अन्य स्तरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधियों यथा माननीय सांसद महोदय, विधायक,जिला प्रमुख, नगर निकाय प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान आदि को भी कार्यक्रम से अवगत कराते हुए आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे । इसके साथ ही कार्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा एवं मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करने हेतु निदेशालय स्तर के कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी से मार्गदर्शन व दिशा निर्देश प्राप्त किया जावे ताकि ऐसे कार्यक्रम उद्वेश्यपरक व गुणवत्तायुक्त बन सकें ।

इस सम्बन्ध में जिले के जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी कार्यक्रम की सूचना दी जावे ।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 16(1)(64)सामान्य/आईसीडीएस/2016/ 17820-931 जयपुर, दिनांकः 6.3.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0,जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त जिला कलेक्टर जिला ....
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् ....
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण ....
6. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ...
7. आदेश पत्रावली ।

6-3-2017

उप निदेशक(प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।